शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
विषय विशेषज्ञ, अभियंत्रण सेवा (शासन स्तर हेतु)

उत्तराखण्ड शासन के नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–116099/XXVI/एक(12)/2021, दिनांक 24–04–2023 के क्रम में राजकीय कार्यों की प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा को बढावा देने तथा गति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत शासन के आदेश संख्या–383234, दिनांक 27–03–2026 के अनुपालन में शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत बाह्य सहायतित, केन्द्र पोषित एवं राज्य सरकार से वित्त पोषित विभिन्न प्रोजेक्टों के फार्मुलेशन, संचालन, अनुश्रवण आदि कार्यो के लिए शहरी विकास विभाग के सचिव के अधीनस्थ निःसंवर्गीय एवं नितांत अस्थायी पद पर अनुबन्ध के आधार पर अभियंत्रण सेवा के एक विषय विशेषज्ञ के एक पद, जिसका मानदेय अधिकतम रू0 3.00 लाख होगा, हेतु hire and fire basis पर निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. आवेदक सिविल इंजीनियरिंग में बी0टेक/एम0टेक एवं राज्य सरकार/भारत सरकार में अभियंत्रण सेवा के अधीक्षण अभियंता के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा की हो।
2. शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित भारत सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाओं व प्रोजेक्टों में कम से कम 07 वर्ष का अनुभव हो।
3. पूर्व में शहरी विकास विभाग के कार्यों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
4. आवेदन हेतु आवेदक अपना CV तथा अनुभव सम्बन्धित विवरण तथा समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव विषयक् प्रमाण–पत्र एवं विवरण की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के अपरान्ह् 05:00 बजे तक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड, देहरादून–248001 डाक से अथवा By-Hand जमा कर सकते है, जिससे आवेदनों को शासन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

28/3/2026

निदेशक
शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड